संख्या- 5 /2018/735/24-पी-2-18-सा0(144)/2017

प्रेषक:

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन,
लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-2

लखनऊः दिनांकः 14 जून 2018

विषयः- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसके सहयोगी वितरण निगमों, केस्को, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 एवं उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति तथा वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-पे.नि./ऊर्जा विभाग/अनु0-3 (विविध)/ 2018/2878 दिनांक 28.02.2018 तथा पत्र संख्या-पे.नि./ऊर्जा विभाग/अनु0-3(विविध) /2018/8382 दिनांक 01.06.2018 में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में मुझे आपको नियमानुसार स्थिति स्पष्ट करने का निदेश हुआ है:-

(1) ऊर्जा क्षेत्र की उपर्युक्त कम्पनियों के सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों के मामले में पेंशन/पारिवारिक पेंशन के लिये आवेदन हेतु वे ही प्रपत्र प्रयोग में लाये जायेगें, जो राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों के सेवानैवृत्तिक लाभों की स्वीकृति हेतु प्रचलन मे है।

(2) उपर्युक्त ऊर्जा कम्पनियों के सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों के संबंध में पेंशन प्रपत्र, यथास्थिति, संबंधित कम्पनी के मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)/महाप्रबन्धक (वित्त)/उप महाप्रबन्धक (वित्त) में से वरिष्ठतम अधिकारी के हस्ताक्षर से अग्रसारित किये जायेगें, यदि किसी कम्पनी में उपर्युक्त पदधारी अधिकारी उपलब्ध न हो तो उस कम्पनी की लेखा शाखा के वरिष्ठतम अधिकारी के हस्ताक्षर से पेंशन प्रपत्र अग्रसारित किए जाएंगे। पेंशन प्रपत्र अग्रसारण अधिकारी के संबंध में कम्पनीवार सूचना उनके नमूना अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित सचिव, उ0प्र0, राज्य पावर सेक्टर इम्पलाईज ट्रस्ट के द्वारा पेंशन स्वीकर्ता अधिकारियों (निदेशक, पेंशन/मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन) को प्रेषित की जाएगी।

3- सेवानिवृत्त/मृत कार्मिक के सेवा इतिहास का सत्यापन उप प्रस्तर(2) में उल्लिखित अग्रसारण अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

4- सेवा पुस्तिका में अंकित वेतन निर्धारण की शुद्धता का सत्यापन उप प्रस्तर(2) में उल्लिखित अग्रसारण अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

5- जिस प्रकार राजकीय कर्मचारियों के संबंध में सेवा के अन्तिम 34 महीनों के वेतन निर्धारण की जांच पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा की जानी अपेक्षित है, उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों के कर्मचारियों के संबंध में भी वेतन निर्धारण की शुद्धता की जांच पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा, संबंधित कार्मिक की सेवा के अंतिम 34 माहों की अवधि के लिए की जाएगी।

6- ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों द्वारा किये जाने वाले अंशदान के संबंध में शासनादेश दिनांक 01.01.2016 में आवश्यक व्यवस्था पूर्व में ही की जा चुकी है।

7- ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को पेंशन का भुगतान वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश के कोषागारों द्वारा प्रदेश के अन्दर बैंकों में खुले पेंशन खातों में ही किया जाएगा।

8- दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के पेंशनरों के अंतिम आहरित वेतन का विभिन्न वेतन आयोगों में प्रचलित वेतनमानों में प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षण तथा इस प्रकार दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित प्रकल्पित वेतन के आधार पर पेंशन के निर्धारण का कार्य पूर्व की भांति संबंधित ऊर्जा कम्पनी के पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी जिनके स्तर से मूल पी0पी0ओ0 निर्गत है, द्वारा किया जायेगा।

9- दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों की पेंशन पारिवारिक पेंशन के प्रकरणों का निस्तारण पूर्व व्यवस्था की भांति ऊर्जा क्षेत्र की संबंधित कम्पनी के पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी जैसा बिन्दु(8) में उल्लिखित है, के द्वारा किया जाएगा।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-10-यू0ओ0-116/दस-2018 दिनांक 13 जून, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या-5 /2018/735(1)/24-पी-2-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1. समस्त अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन उ0प्र0
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/ अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवनलखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा/ पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/ केस्को, कानपुर।
5. निदेशक (वित्त)/मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 /मध्यांचल विद्युत वितरण निगम, लखनऊ/पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम, वाराणसी/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, आगरा/ पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम, मेरठ/ केस्को, कानपुर/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन लि0/ उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
6. वित (सामान्य) अनुभाग-3
7. वित (व्यय -नियंत्रण) अनुभाग-10
8. वित (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
9. ऊर्जा अनुभाग-1/3/निजी निवेश प्रकोष्ठ

आज्ञा से

एम0पी0 सिंह
संयुक्त सचिव